	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

आश्विन 05, शुक्रवार, *शाके 1946*-सितम्बर 27, *2024*

Asvina 05, Friday, Saka 1946- September 27, 2024

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2024

जी.एस.आर.43 :- राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधानसभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधानसभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये 01.03.2024 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान विधानसभा (सदस्यों को निवासीय सुविधा) नियम, 1973 के नियम 4 विद्यमान अभिव्यक्ति "1 अक्टूबर, 2020 या ऐसी वास-सुविधा के उपभोग की तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो से 50,000 /- रुपये प्रतिमाह" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1 मार्च, 2024 या ऐसी वास-सुविधा के उपभोग की तारीख, जो भी पश्चात्वर्ती हो, से 30,000/- रुपये प्रतिमाह" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

[संख्या.एफ 7(2)संसद/2024]

राज्यपाल के आदेश से,

ब्रजेन्द्र जैन,

प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department

NOTIFICATION

Jaipur, September 27, 2024

G.S.R.43 .- In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules

P.T.O.

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) (Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 01.03.2024

2. Amendment of rule 4.- In rule 4 of the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, for the existing expression "Rs. 50,000/-per month with effect from 1st October, 2020", the expression "Rs. 30,000/-per month with effect from 1st March, 2024" shall be substituted.

[No. F. 7(2)Sansad/2024]
By Order of the Governor,

Brajendra Jain,
Principal Secretary to the Government.

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

संख्या:एफ.2(9)ससु/विस/पार्टIII/1998-24/ 31215-464 जयपुर, दिनांक:07 अक्टूबर, 2024

राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. उप सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. समस्त माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय नेता प्रतिपक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
5. निजी सचिव, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
7. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
8. निजी सचिव, वरिष्ठ उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
9. निजी सचिव/अतिरिक्त निजी सहायक/निजी सहायक, समस्त उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
10. सम्पादक, वाद-विवाद/मुद्रण, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
12. उप निदेशक (जन सम्पर्क), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
13. मार्शल/उप मार्शल, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
14. समस्त शाखाधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

देवेन्द्र चोटिया

(देवेन्द्र प्रसाद चोटिया)
उप सचिव(सामान्य)